न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 64 / 2023 प्रार्थना—पत्र
जी.सी.एम.एस. नम्बर—2023 / 124

उनवान

1. श्री दोला पिता भीमा मीना, उम्र बालिग
2. श्री देवा पिता भीमा मीणा, उम्र बालिग,
3. श्री दला पिता भीमा मीणा, उम्र बालिग

सभी निवासीयान खोलडी, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)।

—प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्री शंकर पिता मेघा मीणा, उम्र बालिग
2. श्री लिम्बा पिता मेधा मीणा, उम्र बालिग
3. श्री देवा पिता मेघा मीणा, उम्र बालिग
4. श्रीमती बाबरी पत्नी मेघा मीणा, उम्र बालिग
5. श्री धुला पिता माना मीणा, उम्र बालिग
6. श्री परता पिता माना मीणा, उम्र बालिग
7. श्री केशा पिता लखमा मीणा, उम्र बालिग
8. श्री रामा पिता लखमा मीणा, उम्र बालिग

सभी निवासीयान खोलडी, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)।

9. भूमिधारी तहसीलदार, झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांकः— 08/10/2025

उपस्थितिः— श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता—प्रार्थीगण
श्री नारायणसिंह चूण्डावत— विपक्षी संख्या 1 से 8 तक

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा—151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के खानदान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 मे दर्शितानुसार देवा के चारो पुत्र भीमा, माना, लखमा एवं वाला को ग्राम खोलडी में आराजी नम्बर 1736 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसका नामान्तरण संख्या राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु दिनांक 08—07—1987 जारी किया गया जिसमें चारों भाईयों को आवंटन से गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। परन्तु इसके बाद के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगणों के पिता एवं सबसे बडे भाई भीमा का नाम राजस्व रिकार्ड से सेवन से हट गया और शेष तीनों भाईयो का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चलता आ रहा था। राजस्व रिकार्ड अनुसार साबिक आराजी नं. 1736 रकबा 10 बीघा के हाल आराजी नम्बर 3822, 3823, 3824, 3826, 3840 से 3852 कुल किता 17 रकबा 2.16 हेक्टर भूमि है, जिसमे प्रार्थीगणों का 1/4 हिस्सा है परन्तु देवा का पुत्र वाला जिसका नाम अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 हिस्से से दर्ज चल रहा है वह लाऔलाद फौत हो चुका है जिसका कोई वारिश नहीं है

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

एवं जिसका विरासत से देवा के शेष तीन पुत्री भीमा, माना व लखमा के वारिसानों का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा है। लखमा पिता देवा का भी 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसका स्वर्गवास हो जाने से विपक्षी संख्या 7 सात व 8 आठ लखमा के वारिसान है।

उक्त वर्णित हाल आराजीयात में प्रार्थीगणों का 1/3 हिस्सा, माना के वारिसान विपक्षी संख्या 1 एक से 4 चार एवं 5 पॉच तथा 6 छः का संयुक्त 1/3 हिस्सा तथा लखमा के वारिसान विपक्षी सं. 7 सात व 8 आठ का 1/3 हिस्सा है जिस कारण प्रार्थीगणों का वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक होने से यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है साथ ही तीनों क़ा अलग अलग मिट्स बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किया जाना भी आवश्यक होने से पाती बटवाडे का वाद प्रस्तुत किया है एवं यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है।

वादहेतुक सर्वप्रथम दिनाक 03–07–2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण ने मौके पर विवाद होने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया और उन्हें ज्ञान हुआ कि उनके पिता का नाम में दर्ज नहीं है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपुरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगणों के विरूद्ध है। अतः आप श्रीमान् से सानुरोध निवेदन है कि मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगणों के विरूद्ध एवं प्रार्थीगणों के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि मुलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार से खुर्द, बुर्द, हस्तान्तरण आदि नहीं करे, एवं रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षीगण की ओर अधिवक्ता श्री नारायणसिंह चुण्डावत ने अधिकारपत्र पेश किया एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित सजरा स्वीकार है। प्रार्थीगण के नाम पर विपक्षीगण के पिता के साथ कोई भूमि आवंटन नहीं हुई थी तथा न ही प्रार्थीगण के पिता का व न ही प्रार्थीगण का विपक्षीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर आंवटन के पहले भी कोई कब्जा नहीं रहा है व नहीं वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा ही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित तथ्य साबिक आराजी से हाल आराजीयात होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता का विपक्षीगण के वर्तमान में यानि संवत 2027 से लगाकर आज तक विपक्षीगण के पिता व वर्तमान में विपक्षीगण के कब्जे काश्त होने से खातेदार है व इसमें प्रार्थीगण का कोई हक, अधिकार नहीं है तथा यदि मौके पर संवत 2027 के बाद से प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा होता तो इसके बाद सेटलमेन्ट से पैमाईश हुई थी उसमें नाम यदि रह भी गया हो तो,पुनः जुड जाता परन्तु उस वक्त भी प्रार्थीगण के पिता का कोई कब्जा नहीं होने से संवत 2027 से लगाकर आज तक राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं किया है तथा मृतक वाला की देखरेख व उसके समस्त सामाजिक कामकाज विपक्षीगण ने ही किया है व वाला के हिस्से की भूमि पर वाला का मौखिक कथनो के आधार पर वाला का उक्त आराजीयात में वाला का समस्त हिस्से पर विपक्षीगण का ही अधिकार है। प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा होने का तथ्य अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिताजी का वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पर कभी भी आवंटन के पहले से लगाकर आज तक प्रार्थीगण का कही पर भी कोई कब्जा नहीं होकर आवंटन के पूर्व से लगाकर वर्तमान में भी विपक्षीगण व विपक्षीगण के पिता का ही मौके पर कब्जा चला आ रहा है इसलिये प्रार्थीगण को 1/3 हिस्से का कतई खातेदार घोषित कर 1/3 हिस्से के लिये कोई पांती बंटवाडा कराने के हक अधिकारी नहीं है तथा जब प्रार्थीगण का आवंटन के पूर्व से लगाकर आज तक वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पर विपक्षीगण का

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

ही कब्जा चला आ रहा है, जिससे अतिक्रमण व दखलन्दाजी का तो कोई प्रश्न हीं नहीं है। अतः विपक्षीगण लगातार मौके पर काबिज हो राजस्व रिकार्ड में भी खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञ जारी नहीं की जा सकती है इसलिये प्रार्थीग्ण का उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षीगण का जवाब स्वीकार करा सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात पर रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण जिन तथ्यो को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया है वह अभी साबित नही है। अतः उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक पांबद किया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तरण संख्या 87 की विशिष्टीयों मे आराजी नम्बर 1736 रकबा 10 बिघा एलोटमेन्ट से गैर खातेदारी हक से श्री भीमा माना लखमा वाला पिता देवा के नाम दर्ज करने की स्वीकृती का दाखला दर्ज अंकित है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक आराजी नं. 1736 रकबा 10 बीघा से बने हाल आराजी नम्बर 3821, 3822, 3823, 3824, 3826, 3840 से 3852 बनना प्रतीत होता है। उक्त साबिक आराजी नम्बर 1736 रकबा 10 बीघा से बनें हाल आराजीयात की भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 327 कुल किता 18 रकबा 2.48 हैक्टेयर कृषि भूमि मे विपक्षीगण के नाम दर्ज अंकित है। विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित सजरा स्वीकार किया है। अतः यह निर्विवादीत तथ्य है कि प्रार्थीगण भीमा के वारिसान है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे मुख्य तथ्य यह है कि वादग्रस्त 10 बिघा भूमि 10 बिघा एलोटमेन्ट से गैर खातेदारी हक से श्री भीमा माना लखमा वाला पिता देवा के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई प्रार्थीगण के पिता भीमा का नाम जमाबंदी मे दर्ज नही है। उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय है जिसका निस्तारण मूलवाद मे उपभयपक्ष के साक्ष्यों के समूचीत परिक्षण के उपरान्त गुणावगुण पर किया जावेगा। अतः मूलवाद के निस्तारण मौके एवं रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखना न्यायाहित मे न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक मौजा खोलडी पटवार हल्का देवगांव जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 327 कुल किता 18 रकबा 2.48 हैक्टेयर आराजीयात की कृषि भूमि की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किया जाता है।

निर्णय दिनांक 08/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक जिला कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर